उपायुक्त कार्यालय, साहेबगंज
(जिला नजारत शाखा)

अल्पकालिन निविदा

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के निदेशानुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से ऐजेंसी चयन करते हुए समाहरणालय, साहेबगंज एवं अन्य कार्यालयों में कम्प्युटर ऑपरेटर, चालक, सफाई कर्मी को आवश्यकतानुसार कार्य पर रखा जाना है। कम्प्युटर ऑपरेटर, चालक सफाई कर्मी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा पर रखने हेतु ऐजेंसी का चयन एवं मासिक मानदेय निर्धारण हेतु जिला नजारत शाखा, साहेबगंज में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक–24.08.2018 अपराह्न 1:00 PM बजे तक दो लिफाफा प्रणाली के तहत् मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक–24.08.2018 को अपराह्न 4:00 PM बजे उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता में गठित जिला निविदा समिति की बैठक में खोली जायेगी। उपरोक्त की सूची तथा निविदा की शर्ते की सूचना जिला नजारत शाखा, साहेबगंज के सूचना पट पर एवं वेबसाईट Sahibganj.nic.in पर देखी जा सकती है।

तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. कम्पनी अधिनियम के तहत निबंधन प्रमाण पत्र।
2. I.S.O 9001:2008 निबंधन प्रमाण पत्र।
3. सर्विस टैक्स निबंधन प्रमाण पत्र।
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से निबंधन प्रमाण पत्र।
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम से निबंधन प्रमाण पत्र।
6. श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।
7. निविदा के साथ 1.00 लाख (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमानत की राशि के रूप में 3 वर्षो के लिए जमा करना होगा, जो उपायुक्त साहेबगंज के पदनाम से A/C Payee होगा।
8. कम से कम तीन वर्षो का I.T.R (Income Tax Return)
9. पैन नम्बर की छाया प्रति।
10. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन मूल शपथ–पत्र।

वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में कर्मचारियों को सेवा में रखने के एवज में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन/प्रति माह मानदेय का दर अंकित करेंगे, जो सेवा कर सहित सभी प्रकार के कर के साथ होगा।

निविदा की अन्य शर्ते :–

1. सभी कर्मचारी झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताए पूरी करता हो।
2. सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन झारखण्ड सरकार के श्रम विभाग के अधिसूचना के अनुसार न्यूतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए, एवं भुगतान बैंक खाता के माध्यम से हो।
3. कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का लाभुक हो।
4. कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभुक हो।

5. सभी निविदा द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelopes System) के अनुसार डाली जायेगी।
6. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में तकनीकी बीड लिखकर उसमें मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद कर उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
7. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में वित्तीय बीड अंकित कर सभी कर्मचारीयों को सेवा में रखने के एवज में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन/प्रति माह मानदेय का दर अंकित करेंगे। मुहरबंद लिफाफे पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
8. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर निविदादाता लिफाफे पर अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या अंकित पर उपायुक्त, साहेबगंज के पदनाम से मुहरबंद लिफाफा जिला नजारत शाखा, साहेबगंज में रखे सील बंद बॉक्स में डालेंगे।
9. पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी और निविदादाताओं की उपस्थिति में ही उनका मूल्यांकन किया जायेगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्ही का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
10. किसी भी समय बिना बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

ह०/–

उपायुक्त,

साहेबगंज।